उत्तर प्रदेष आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 884 / ए0वी0 /1069 दिनांक 30.3.2017

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा0 अध्यक्ष(म0)के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है।

क्र0 सं0	परियोजना आई.डी.नं.	योजना / परियोजना का नाम	परियोजना की पूर्व स्वीकृत लागत (रू0 करोड़)	अतिरिक्त कार्य की लागत (रू0 करोड़)	परियोजना की कुल लागत (रू0 करोड़)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1	044320	वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ के से.–20 में निर्माणाधीन **गोर्वधन इन्क्लेव** में विभिन्न श्रेणी के निम्नलिखित फलैट्स का निर्माण कार्य। **(अ) समाजवादी आवास येाजना –** 1– 1 बी0एच0के0(टाइप–ए)–288 नग 2– 1 बी0एच0के0(टाइप–बी)–192 नग 3– 2 बी0एच0के0 – 468 नग 4– 2 बी0एच0के0+स्टडी – 708 नग योग 1656 नग **(ब) स्व–वित्त पोषित येाजना –** 1– 2 बी0एच0के0+स्टोर – 208 नग 2– 3 बी0एच0के0+स्टोर – 156 नग योग 364 नग	अभि0अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0–1462 / ए.वी. / 984 दिनांक 09.04.2015 द्वारा			
		कुल योग 2020 नग	426.05	**99.20**	525.25	26 / 221

1– उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का मा0 अध्यक्ष (म0) द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि प्रश्नगत कार्य हेतु आगामी बोर्ड बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। तद्नुसार उक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति आगामी बोर्ड बैठक में अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।

3– प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।

4– प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।

5– प्रश्नगत कार्य हेतु वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति सक्षम स्तर से अलग से प्राप्त करनी होगी।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जायेगा।

7– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि0अभि0 / अधी0अभि0 का होगा।

8– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।

9– खण्ड द्वारा लेबर सेस / सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।

10– परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– उक्त परियोजना का कार्य 2 वर्ष 6 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

12– कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।

13– उक्त परियोजना के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

28/3/17

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)